कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बेमेतरा (छत्तीसगढ़)

दूरभाष क्र. 07824—222129, फैक्स क्र. 07824—222029

E-mail bemetara.cg@gov.in

// आदेश //

क्रमांक / 4364 / कानून व्य. / 2017 बेमेतरा, दिनांक 19 / 09 / 2017

पुलिस अधीक्षक, जिला—बेमेतरा, ने अपने प्रतिवेदन क्रमांक / पुअ / बेमे / जिविशा / 1448 / 17, दिनांक 19.09.2017, में लेख किया है कि विभिन्न मांगों को लेकर बिभिन्न किसान संगठनों द्वारा दिनांक 19.09.2017 को राजनांदगांव जिले से प्रारम्भ कर, दिनांक 21.09.2017 को रायपुर पहुंचते हुए, वहां स्थित मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का आह्वान किया है, जिसमें काफी संख्या में संबंधित कार्यकर्ताओं के भाग लेने की सूचना मिली है, जिसका कानून व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ने की संभावना बना रहना जताया गया है। उक्त प्रतिवेदन में यह भी लेख है कि, इसी दौरान इस जिले में भी किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर रैली, आंदोलन एवं प्रदर्शन किया जा सकने की सूचना है। प्रतिवेदन में यह भी जताया गया है कि, किसानों द्वारा किये जाने वाले उक्त आंदोलन से जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक, जिला—बेमेतरा, के प्रतिवेदन में इस प्रकार यह लेख किया गया है कि, उपरोक्त परिस्थितियों में **सम्पूर्ण जिला बेमेतरा** क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए, इस संबंध में किसी भी प्रकार के धरना, रैली एवं प्रदर्शन को प्रतिबंधित किये जाने हेतु दिनांक 19.09.2017 के 19:00 बजे से 21.09.2017 के 19:00 बजे तक धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत् आदेशित किया जाना उचित होगा।

पुलिस अधीक्षक, जिला—बेमेतरा, के प्रतिवेदन से सहमत होकर मुझे यह समाधान हो गया है कि **सम्पूर्ण जिला बेमेतरा** में किसानों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना, रैली एवं प्रदर्शन किये जाने की सूचना है। किसानों के द्वारा किये जाने वाले आंदोलन से जिले में कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न होने से इंकार नहीं किया जा सकता। जिससे जिले में लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो सकता है एवं विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा या क्षति होने की आशंका है। अतः, लोक प्रशांति बनाये रखने के लिये, **सम्पूर्ण जिला बेमेतरा** में विभिन्न किसान संगठनों एवं उनके सदस्यों / प्रतिनिधियों द्वारा धरना, रैली, प्रदर्शन, आदि के आयोजन एवं उसमें भाग लेने के तैय्यारी स्वरूपेण प्रारम्भिक कदमों को, प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है।

अतः, मैं कार्तिकेया गोयल, जिला दण्डाधिकारी, जिला—बेमेतरा, धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **सम्पूर्ण जिला बेमेतरा** में, दिनांक 19.09.2017 (सांय 07:00 बजे) से दिनांक 21.09.2017 (सांय 07:00 बजे) तक के लिये, विभिन्न किसान संगठनों एवं उनके सदस्यों / प्रतिनिधियों द्वारा धरना, रैली, प्रदर्शन, आदि के आयोजन एवं उसमें भाग लेने के तैय्यारी स्वरूपेण प्रारम्भिक कदमों हेतु, प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करता हूं।

यह आदेश दिनांक 19.09.2017 (सांय 07:00 बजे) से लागू किया जाना आवश्यक है। परिस्थिति एवं समयाभाव के कारण, प्रभावित को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 144(2) के तहत्, यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार—प्रसार किया जावे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता में निहित प्रावधानों के तहत् दण्डनीय होगा। यह आदेश पुलिस, सी.आर.पी.एफ. तथा कानून व्यवस्था में शासकीय कार्य में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

यह आदेश आज दिनांक 19.09.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी बेमेतरा (छ.ग.)

Kgoel
19-09-2017

(कार्तिकेया गोयल, IAS)
कलेक्टर
एवं
जिला दण्डाधिकारी,
बेमेतरा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 4365 / कानून व्य. / 2017 बेमेतरा, दिनांक 19 / 09 / 2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
2. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग।
3. पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा, को सूचनार्थ एवं जिले में तैनात पुलिस अधिकारियों तथा थाना प्रभारियों को अपने स्तर से अवगत कराने हेतु।
4. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला बेमेतरा, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. सर्व थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी, जिला बेमेतरा को पालनार्थ।
6. तहसीलदार, सर्व, बेमेतरा जिला को पालनार्थ। कोटवारों के माध्यम से मुनादी भी करायें।
7. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला–बेमेतरा, को प्रेस रिलीस जारी कर, समस्त दैनिक समाचार पत्रों, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार–प्रसार हेतु अग्रेषित।
8. जिला सूचना अधिकारी, जिला–बेमेतरा, को जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

19-09-2017

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी बेमेतरा (छ.ग.)

(कार्तिकेया गोयल, IAS)
कलेक्टर
एवं
जिला दण्डाधिकारी,
बेमेतरा (छ.ग.)